महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार
दारोगा राय पथ, रोड नं0– 02, आर॰ ब्लॉक, पटना– 800001
support.wdc@bihar.gov.in

पत्रांकः– WCDC/1340/25 दिनांकः– 10/06/2025

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

विषयः- **विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, संलग्न विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 11.06.2025 को निम्न रूप से करने की कृपा की जायः-

1. हिन्दी दैनिक समाचार पत्र - दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान (सभी संस्करण)
2. अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र दि टाईम्स ऑफ इंडिया।

विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत संबंधित समाचार पत्रों की प्रति के साथ विभाग द्वारा सत्यापित विपत्र भुगतान के लिए इस कार्यालय को भेजने की भी कृपा की जाय।
अनुलग्नक यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/06/2025
प्रशासी पदाधिकारी

Copy to: System Analyst, WCDC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार।

(समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार)

दारोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक0, रोड नं0–02

पटना–800001

e-mail- support.wdc@bihar.gov.in, Ph : - 0612-2506078 / 0612-2506068

वेबसाईट : **https://wcdc.bihar.gov.in/**

विज्ञापन सूचना–03/2025

महिला एवं बाल विकास निगाम, समाज कल्याण विभाग, बिहार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए 'मिशन शक्ति' योजना अंतर्गत हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन (SHEW) योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन (SHEW) अंतर्गत संविदा आधारित निम्न पद पर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है–

S.No	Name of the Post	Remuneration (in Rs.)	Category					
			UR	SC	ST	EBC	BC	Total
1.	Office Assistant (DEO)	16,000.00	1					1

नोट :– संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नही होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएगे न सरकारी सेवको के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के अधीन होगा।

स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन अंतर्गत रिक्त पद पर नियोजन से संबंधित विस्तृत विवरणी, पात्रता, आवेदन करने की तिथि एवं अन्य मानदंडों , सूचना का अवलोकन महिला एवं बाल विकास निगम के अधिकारिक वेबसाइट **https://wcdc.bihar.gov.in/** पर किया जा सकता है।

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार।

(समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार)

दारोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक0, रोड नं0–02

पटना–800001

e-mail- support.wdc@bihar.gov.in, Ph : - 0612-2506078 / 0612-2506068

वेबसाईट:**https://wcdc.bihar.gov.in**

विज्ञापन सूचना– /2025

महिला एवं बाल विकास निगाम, समाज कल्याण विभाग, बिहार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए 'मिशन शक्ति 'योजना अंतर्गत हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन (HEW) योजना का संचालन किया जा रहा है।राज्य स्तर पर स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन (SHEW) अंतर्गत संविदा आधारित निम्न पद पर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है:-

S.No	Name of the Post	Remuneration (in Rs.)	Category					
			UR	SC	ST	EBC	BC	Total
1.	Office Assistant (DEO)	16,000.00	1	-	-	-	-	1

नोटः–

संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतःअस्थायी होगी,इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा।नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगें न सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे।उनका नियोजन स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन के अधीन होगा।

स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन अंतर्गत रिक्त पदों पर नियोजन से संबंधित विस्तृत विवरणी, पात्रता, आवेदन करने की तिथि एवं अन्य मानदंडों ,सूचना का अवलोकन महिला एवं बाल विकास निगम के अधिकारिक वेबसाइट https://wcdc.bihar.gov.in पर किया जा सकता है।

प्रबंध निदेशक

9. काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन के आधार पर अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का सत्यापन किया जाएगा| सत्यापन में गलत दावा कर अंक प्राप्त किए जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता को रद्द किए जाने का अधिकार महिला एवं बाल विकास निगम के पास सुरक्षित रहेगा।ऑनलाइन आवेदन में अपने प्रमाण पत्रों के संबंध में अभ्यर्थियों के द्वारा गलत सूचना दिए जाने की स्थिति में जांचोपरांत उनकी अभ्यर्थिता को रद्द करते हुए उन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई निगम के द्वारा की जाएगी।
10. अभ्यर्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा-शैक्षणिक प्रमाण-पत्र / शैक्षणिक अंक पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस / वोटर कार्ड) की मूल प्रति एवं उसकी एक छाया-प्रति को स्वअभिप्रमाणित करते हुए काउंसलिंग / साक्षात्कार के समय निश्चित रूप से लाएंगे। सत्यापन के बाद मूल प्रमाण पत्र की प्रति अभ्यर्थियों को वापस लौटा दी जाएगी।
11. महिला एवं बाल विकास निगम बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया के तहत रिक्त पदों पर संबंधित विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
12. महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत स्टेट हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ़ वीमेन अंतर्गत रिक्त पद महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा संचालित मिशन शक्ति के अंतर्गत पूर्णतः संविदा आधारित पद है।
13. विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के पूर्व का वांछित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के बाद का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे।
14. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद का ही कार्य अनुभव मान्य होगा।
15. मेधा सूची में समान अंक रखने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
16. संविदा के आधार पर चयनोपरांत सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
17. नियोजन के उपरांत अनुबंध की अवधि का नवीकरण/ सेवा विस्तार कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन के आधार पर उनके कार्य मूल्यांकन के उपरांत किया जाएगा। नियोजित होने के उपरांत कर्मी पार्ट टाईम / फुल टाईम किसी अन्य कार्यालय / संस्थान में कार्य नहीं करेंगे।
18. अंतिम रूप से नियोजन का निर्णय निगम द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर महिला विकास निगम को होगा।
19. अभ्यर्थियों द्वारा कार्यानुभव पुष्टि हेतु Last Pay Slip संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नोट : केवल न्यूनतम पात्रता मानदंडों को स्वयं पूरा करने से कोई भी आवेदक आगे की चयन प्रक्रियाओं के लिए चयनित या आमंत्रित होने का हकदार नहीं होगा। अपनी पात्रता की पुष्टि करना आवेदक की एकमात्र जिम्मेदारी है।

महिला एवं बाल विकास निगम के पास भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदक के नियोजन अथवा विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रबंध निदेशक

=====*****======

रहित प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मूल्य में साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

VI. सभी प्रमाण -पत्र ऑनलाइन आवेदन करनेकी तिथि या उसके पूर्व का होना अनिवार्य है।

VII. क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के विज्ञापन प्रकाशित होने के एक वर्ष से पूर्व का होने की स्थिति में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा ।

VIII. आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति /क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए ना कि उनके पति के नाम एवं पतासे।

IX. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का दावा करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपति प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना आवश्यक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी समर्पित करना आवश्यक है। अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य के बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दवा नहीं करेंगे।आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जाएगा।

6. अभ्यर्थी हाल का अपना एक फोटो तथा हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे।अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे की अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

7. उम्र सीमा संविदा पर नियोजन हेतु आयु की गणना 1 अगस्त 2023 से होगी ।

अधिकतम उम्र सीमा :

(i)अनारक्षित वर्ग (पुरूष) 37 वर्ष|

(ii)अनारक्षित वर्ग महिला) 40 वर्ष |

(iii)पिछड़ा वर्ग(पुरूष एवं महिला) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ 40 वर्ष|

(iv)अनुसूचित जाति(पुरूष एवं महिला) अनुसूचित जनजाति/ 42 वर्ष|

8. राज्य स्तर पर स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमन (SHEW) अंतर्गत संविदा आधारित रिक्त पदों हेतु निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के लिये प्राप्त प्राप्तांक के प्रतिशत पर अधिकतम 50 अंक, संबंधित विषयों पर अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिये अधिकतम 10 अंक, निर्धारित कार्यानुभव (तीन वर्ष) के अतिरिक्त महिला के क्षेत्र में सरकार अथवा सरकार से संबद्ध संस्थाओं का कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को ही अधिकतम 15 अंक तथा साक्षात्कार के लिये अधिकतम 25 अंक निर्धारित है। इस प्रकार कुल 100 अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत, कार्यानुभव के लिए प्राप्त अंक के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची में से उपर से रिक्त पदों की संख्या के कम से कम 5 गुणा अभ्यर्थियों (कोटिवार) को काउंसलिंग / साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट किया जायेगा। जिसका अधिकार अंतिम रूप से महिला एवं बाल विकास निगम को सुरक्षित रहेगा।

ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश :

1. आवेदन भरने और अन्य विवरण प्राप्त करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट https://wcdc.bihar.gov.in/पर जाकर देखा जा सकता है।आवेदन के लिए लिंक दिनांक .... को खुलेगा।
2. आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
3. ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि .... अपराहन, 5.00 बजे तक निर्धारित है।इस तिथि और समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नियोजन से संबंधित आवश्यक अपडेट एवं अन्य सूचनाओं/ घोषणाओं के लिए समय-समय पर वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे।
5. इस भर्ती/नियोजन में बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत तय की गई आरक्षण नीति (क्षैतिज आरक्षण सहित) लागू होगी।
   - I. ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-70, दिनांक 11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देय होगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
   - II. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दवा मान्य नहीं होगा।
   - III. ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा।
   - IV. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा।संबंधित मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार में बुलाए जाने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
   - V. पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र का मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रिमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करनाहोगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमीलेयर

महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार।

(समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार)

दारोगाराय पथ, आर० ब्लॉक०, रोड नं०–02, पटना–800001

e-mail- support.wdc@bihar.gov.in, Ph : - 0612-2506078 / 0612-2506068

वेबसाईट: **https://wcdc.bihar.gov.in**

विज्ञापन सूचना–

महिला एवं बाल विकास निगाम, समाज कल्याण विभाग, बिहार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए 'मिशन शक्ति 'योजना अंतर्गत हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन (HEW) योजना का संचालन किया जा रहा है।राज्य स्तर पर स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन (SHEW) अंतर्गत संविदा आधारित निम्न पदों पर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है:-

S.No	Name of the Post	Remuneration (in Rs.)	Category					
			UR	SC	ST	EBC	BC	Total
1.	Office Assistant (DEO)	16,000.00/-	1	-	-	-	-	1

रिक्त पदों के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अहर्ता एवं कार्यानुभव निम्नवत है :-

क्र०स	स्वीकृत पद	शैक्षणिकयोग्यता	अनुभव
1	ऑफिस असिस्टेंट (DEO)	कम्प्यूटर/ आई०टी में स्नातक	डेटा प्रबंधन (हिन्दी, इंग्लिश), प्रक्रिया दस्तावेजीकरण और वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप आदि में सरकारी संस्थानों अथवा सरकार से संबद्ध संस्थाओं अथवा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ 3 वर्ष का राज्य/जिला स्तर का कार्यानुभव अनिवार्य होगा।

<u>शैक्षणिक अहर्ता</u>:निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त आवेदकों को कंप्यूटर से संबंधित कोर्स एवं कंप्यूटर संचालन का ज्ञान एवं टाइपिंग (हिंदी एवं इंग्लिश) अनिवार्य है।

<u>कार्यानुभव</u>: ऑफिस असिस्टेंट (DEO) हेतु निर्धारित कार्यानुभव रखने वाले सभी आवेदक के पात्र होंगे| लेकिन महिला के क्षेत्र में सरकार अथवा सरकार से संबंध संस्थाओं (राज्य /जिला स्तर) का कार्यानुभव रखने वाले अभियर्थी को ही वेटेज का लाभ दिया जाएगा|